माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश व पत्र
का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पारित
प्रशासनिक आदेश संख्या 128/2020

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक पी एस (आर जी)/47/ 2020: इलाहाबाद दिनांकितः अप्रैल 24, 2020 इस आशय का प्रेषित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.04.2020 को पारित किये गये आदेश का पूर्ण अनुपालन कराया जाय।

उक्त पत्र के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 24.04.2020 में इस आशय का उल्लेख है कि "Government of India, Ministry of Home Affairs, vide Order No. 40-3/2020-DM-1(A) dated 14.04.2020 has extended the lock-down till 03.05.2020 to contain the spread of COVID-19 in the country. Looking to the extraordinary situation, the Court issued order dated 19.04.2020 to keep in abeyance its earlier order dated 18.04.2020, for opening of the subordinate courts w.e.f. 20.04.2020 till 27th April, 2020. Further, Letter No. 281/2020-C.X.-3-2020 dated 19.04.2020 of the Additional Chief Secretary, Grih Evam Gopan Vibhag, Uttar Pradesh Shashan, has been issued requesting therein for opening of the Courts Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad only after expiry of lockdown period in view of the ongoing spread of Novel Corona Virus (COVID-19) in various districts of Uttar Pradesh.

In view of aforesaid facts and circumstances, it is directed that all the Courts subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad shall remain closed till 03.05.2020.

तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ सभी न्यायालयों को दिनांक 03.05.2020 तक बन्द रखने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 24.04.2020 के अनुपालन जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के समस्त न्यायालय दिनांक 03.05.2020 तक यथावत् बन्द रहेंगे।

इस आदेश को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ में कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण के मध्य अविलम्ब परिचालित किया जाय तथा इसकी एक प्रति जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।

24-4-2020

(प्रमोद कुमार शर्मा)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़,

दिनांकः अप्रैल 24, 2020

Scanned by CamScanner

संख्याः 570 /प्रथम, **दिनांकः अप्रैल 24, 2020**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. जिलाधिकारी, आजमगढ़,
02. पुलिस अधीक्षक, आजमगढ.,
03. नोडल आफिसर (कम्प्यूटर)/सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश व इस आदेश की प्रति को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
04. कारागार अधीक्षक, मण्डल एवं जिला कारागार, आजमगढ़,
05. अध्यक्ष/मंत्री, दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ, आजमगढ़,
06. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को ऐसे समाचार—पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित जो कि जनपद आजमगढ़ में सर्कुलेशन में हो ताकि इसकी जनसामान्य को जानकारी हो सके।

24-4-2020

(प्रमोद कुमार शर्मा)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़,

Scanned by CamScanner